

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 356/2023

वादपत्र अं. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

1. गुरजन्ट सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख साकिन जरसी पो वाली तहसील व जिला बटिण्डा (पंजाब)
2. बिन्दर सिंह पुत्र जंगीर सिंह
3. गुरसेवक सिंह पुत्र गुरमेल सिंह
4. जसकरण सिंह पुत्र गुरमेल सिंह
5. गुरनामसिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति तरखान
6. बलदेव सिंह पुत्र सरजीत सिंह
7. रणजीत सिंह पुत्र सरजीत सिंह
8. सुखमन्दर सिंह पुत्र सरजीत सिंह

जाति समस्त जटसिख निवासीगण
बोलावाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़ (राज.)

--वादीगण

बनाम

1. जसप्रीत सिंह उर्फ जसप्रीत कोर पुत्री छिन्द्रपाल कौर जाति जटसिख साकिन बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. ग्यारसीलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राह्मण निवासी हनुमानगढ़
3. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा संगरिया
4. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा ढावां
5. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा, कोर्ट रोड, संगरिया
6. शाखा प्रबन्धक एक्सिस बैंक शाखा बोलावाली
7. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ।

--प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक :-

1. श्री कैलाश सिंवल -वकील वादीगण
2. श्री बन्टुश विश्णोई -वकील प्रति.सं. 1
3. श्री हरवंश झोरड -वकील प्रति.सं. 02
4. श्री संजय साहेवाल -वकील प्रति.सं. 3ता5

निर्णय

दिनांक :- 13.8.24

वादीगण गुरजन्ट सिंह वगैरा ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 के विरुद्ध यह राजस्व वाद वावत घोषणा एवं खाता तकसीम के तहत दिनांक 28.07.2023 को इस न्यायालय में पेश किया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादी सं. 1 के नाम से चक नं. 15 बी.जी.पी. जं.सं. 2072-75 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 42/30 में 1933/18216 हिस्सा, वादी सं. 2 के नाम से 1932/18216 हिस्सा, वादी सं. 3 के नाम से 966/18216 हिस्सा, वादी सं. 4 के नाम से 966/18216 हिस्सा, वादी सं. 5 के नाम से 621/18216 हिस्सा, वादी सं. 6 के नाम से 3747/18216 हिस्सा, वादी सं. 7 के नाम से 3747/18216 हिस्सा, वादी सं. 8 के नाम से 3748/18216 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। कूल कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

चक नं. 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 42/30 जं.सं. 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
171/155	70	6,15
171/156	78	4,5,6,7,15
172/154	64	14,15/1, 15/2,16/1,16/2,17,24,25/1,25/2
172/154	71	3,4,5/1,5/2,6/21,6/2,7,8,9,10,11,12,13,14
172/156	77	15/1,15/2,6/1,6/2,17 ता 24,25/1,25/2
173/154	63	1 ता 4, 5/1,5/2,6/1,6/2,7,8,15/1,15/2
173/155	72	11,18,19,20,21,22,23
173/155	72	1/1,1/2,2/1,2/2,3/1,3/2,4/1,4/2
173/156	76	5/1,5/2, 8,9,10,11,20,21,22
174/155	74	1,2,9,10,11,12,13
		1

कुल 18.2160 है. नहरी / बारानी मय गे.मु।

वादी सं. 1 का नाम जसप्रीत कौर पुत्री छिन्द्रपाल कौर है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में जसप्रीत कौर के स्थान पर जसप्रीत सिंह दर्ज हो गया है जो कि काबिले दुरुस्ती है। प्रतिवादी सं. 1 वादी सं. 1 व 2 के बहिन छिन्द्रपाल कौर की पुत्री है व वादी सं. 3 व 4 के बुआ की पुत्री है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक नं. 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 42/30 में 526/182/16 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने उक्त हिस्सा का परित्याग वादी सं. 1 व 2 के पक्ष में 2/3 हिस्सा व वादी सं. 3 व 4 के पक्ष में 1/3 हिस्सा का परित्याग कर दिया है। अब प्रतिवादी सं. 1 वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा नहीं रखना चाहती है। अतः वादी सं. 1 व 2 प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में 2/3 हिस्सा के ब.हि.ब. के वादी सं. 3 व 4, 1/3 हिस्सा के ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 2 ने अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का पूर्व में बेचान कर दिया है। अब प्रतिवादी सं. 2 का नाम बोग्स बोल रहा है, जिस हटाया जावे। वादीगण ने वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि का आपस में रास्ता खाला व सिचाई की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए घराघरू बंटवारानामा कर रखा है, कब्जा काशत बाबत कोई विवाद नहीं है, घरा घरू बंटवारा अनुसार वादीगण को निम्न प्रकार कृषि भूमि प्राप्त हुई है :-

वादी सं. 1 गुरजन्टसिंह पुत्र जंगीरसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि :-

चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
173/155	72	1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 8,9,10/0.253 है.प्र.
172/154	64	16/1/0.228, 16/2/0.025, 25/1/0.228, 25/2/0.025
172/155	71	5/1/0.142, 5/2/0.020 है.
=2.041 है. नहरी 0.145 गै.मु.कि.न		

वादी सं. 2 बिन्द्रहि पुत्र जंगीरसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि :-

चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
172/154	64	14,17,24/0.253 है.प्र

सहायक कमिश्नर एवं
उपचंड अधिकारी
सुरासिंध

2/155 71

3,4,7,8/0.253 है.प्र. 5 कि.नं. 4 के साथ चिपता/0.042

6/1/0.228, 6/2/0.025 है.

=2.041 है. नहरी 0.025 गै.मु. कुल 2.066 नहरी मय गै.मु.

वादी सं. 3 गुरसेवक सिंह पुत्र गुरमेलसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि :-

चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30

प.नं. मु.नं. कि.नं.

173/154 63 11,18,19,20/0.253 है.प्र.

172/155 71 5/1/0.009 है. कुल 1.021 है. नहरी।

वादी सं. 4 जसकरणसिंह पुत्र गुरमेलसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि :-

चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30

प.नं. मु.नं. कि.नं.

173/154 63 21,22,23/0.253 है.प्र.

172/154 64 15/1/0.228, 15/2/0.025 है.

172/155 71 5/1/0.035, 5/2/0.005

=1.022 नहरी 0.030 गै.मु. कुल 1.052 है. नहरी मय गै.मु।

वादी सं. 5 गुरनामसिंह पुत्र निरंजनसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि :-

चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30

प.नं. मु.नं. कि.नं.

174/155 72 1/0.253

173/155 72 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025

=0.709 है. नहरी 0.050 गै.मु। कुल 0.759 है. नहरी मय गै.मु।

वादी सं. 6 बलदेव सिंह पुत्र सरजीतसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि :-

चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30

प.नं. मु.नं. कि.नं.

173/155 72 11/0.253

172/155 71 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025
9,10,11,12,13,14,17,18,19,20/0.253 है.प्र.

171/155 70 6,15/0.253 है.प्र.

=3.745 नहरी 0.050 गै.मु. कुल 3.795 है. नहरी मय गै.मु।

वादी सं. 7 रणजीत सिंह पुत्र सरजीत सिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि :-

चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30

प.नं. मु.नं. कि.नं.

173/155 72 21,22/0.253 है.प्र.

173/156 76 1,2/0.253 है.प्र.

172/155 71 21,22,23,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228, 25/2/0.025

172/156 77 1,2,3,4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228, 5/0.025 है.

=3.492 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि।

वादी सं. 8 सुखमन्द्रसिंह पुत्र सरजीतसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि :-

चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30

प.नं. मु.नं. कि.नं.

171/156 78 4,5,6,7,15/0.253 है.प्र.

चक नं. 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 42/30 जं.सं. 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
171/155	70	6,15
171/156	78	4,5,6,7,15
172/154	64	14,15/1, 15/2,16/1,16/2,17,24,25/1,25/2
172/154	71	3,4,5/1,5/2,6/21,6/2,7,8,9,10,11,12,13,14
172/156	77	15/1,15/2,6/1,6/2,17 ता 24,25/1,25/2
173/154	63	1 ता 4, 5/1,5/2,6/1,6/2,7,8,15/1,15/2
173/155	72	11,18,19,20,21,22,23
5/1,5/2, 8,9,10,11,20,21,22		1/1,1/2,2/1,2/2,3/1,3/2,4/1,4/2
173/156	76	1,2,9,10,11,12,13
174/155	74	1

कुल 18.2160 है. नहरी / बारानी मय गे.मु।

वादी सं. 1 का नाम जसप्रीत कौर पुत्री छिन्द्रपाल कौर है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में जसप्रीत कौर के स्थान पर जसप्रीत सिंह दर्ज हो गया है जो कि काबिले दुरुस्ती है। प्रतिवादी सं. 1 वादी सं. 1 व 2 के बहिन छिन्द्रपाल कौर की पुत्री है व वादी सं. 3 व 4 के बुआ की पुत्री है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक नं. 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 42/30 में 526/182/16 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने उक्त हिस्सा का परित्याग वादी सं. 1 व 2 के पक्ष में 2/3 हिस्सा व वादी सं. 3 व 4 के पक्ष में 1/3 हिस्सा का परित्याग कर दिया है। अब प्रतिवादी सं. 1 वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा नहीं रखना चाहती है। अतः वादी सं. 1 व 2 प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में 2/3 हिस्सा के ब.हि.ब. के वादी सं. 3 व 4, 1/3 हिस्सा के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 2 ने अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का पूर्व में बेचान कर दिया है। अब प्रतिवादी सं. 2 का नाम बोग्स बोल रहा है, जिस हटाया जावे। वादीगण ने वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि का आपस में रास्ता खाला व सिचाई की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए घराघरू बंटवारानामा कर रखा है, कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है, घरा घरू बंटवारा अनुसार वादीगण को निम्न प्रकार कृषि भूमि प्राप्त हुई है :-

वादी सं. 1 गुरजन्तसिंह पुत्र जंगीरसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि :-

चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
173/155	72	1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 8,9,10/0.253 है.प्र.
172/154	64	16/1/0.228, 16/2/0.025, 25/1/0.228, 25/2/0.025
172/155	71	5/1/0.142, 5/2/0.020 है.

=2.041 है. नहरी 0.145 गै.मुमकिन

वादी सं. 2 बिन्द्रहि पुत्र जंगीरसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि :-

चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
172/154	64	14,17,24/0.253 है.प्र.

महायक/कॉम्प्लेक्स एंड
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प.नं. मु.नं. कि.नं.
 173/155 72 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025,
 172/154 64 3/1/0.228, 3/2/0.025, 8,9,10/0.253 है.प्र.
 172/155 71 16/1/0.228, 16/2/0.025, 25/1/0.228,
 25/2/0.025
 5/1/0.142, 5/2/0.020 है.
 =2.041 है. नहरी 0.145 गै.मुमकिन

वादी सं. 2 बिन्द्रहि पुत्र जंगीरसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि :-
 चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30

प.नं. मु.नं. कि.नं.
 172/154 64 14,17,24/0.253 है.प्र.
 172/155 71 3,4,7,8/0.253 है.प्र. 5 कि.नं. 4 के साथ चिपता/0.042
 6/1/0.228, 6/2/0.025 है.
 =2.041 है. नहरी 0.025 गै.मु. कुल 2.066 नहरी मय गै.मु.

वादी सं. 3 गुरसेवक सिंह पुत्र गुरमेलसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि :-
 चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30

प.नं. मु.नं. कि.नं.
 173/154 63 11,18,19,20/0.253 है.प्र.
 172/155 71 5/1/0.009 है. कुल 1.021 है. नहरी।

वादी सं. 4 जसकरणसिंह पुत्र गुरमेलसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि :-
 चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30

प.नं. मु.नं. कि.नं.
 173/154 63 21,22,23/0.253 है.प्र.
 172/154 64 15/1/0.228, 15/2/0.025 है.
 172/155 71 5/1/0.035, 5/2/0.005
 =1.022 नहरी 0.030 गै.मु. कुल 1.052 है. नहरी मय गै.मु।

वादी सं. 5 गुरनामसिंह पुत्र निरंजनसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि :-
 चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30

प.नं. मु.नं. कि.नं.
 174/155 72 1/0.253
 173/155 72 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025
 =0.709 है. नहरी 0.050 गै.मु. कुल 0.759 है. नहरी मय गै.मु।

वादी सं. 6 बलदेव सिंह पुत्र सरजीतसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि :-
 चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30

प.नं. मु.नं. कि.नं.
 173/155 72 11/0.253
 172/155 71 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025
 9,10,11,12,13,14,17,18,19,20/0.253 है.प्र.
 171/155 70 6,15/0.253 है.प्र.

=3.745 नहरी 0.050 गै.मु. कुल 3.795 है. नहरी मय गै.मु।

वादी सं. 7 रणजीत सिंह पुत्र सरजीत सिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि :-

महापक कलक्टर एवं
 उपसचिव अधिकारी
 मंडीरिया

चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
173/155	72	21,22/0.253 है.प्र.
173/156	76	1,2/0.253 है.प्र.
172/155	71	21,22,23,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228, 25/2/0.025
172/156	77	1,2,3,4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228, 5/0.025 है.

=3.492 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि।

वादी सं. 8 सुखमन्द्रसिंह पुत्र सरजीतसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि :-

चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
171/156	78	4,5,6,7,15/0.253 है.प्र.
172/156	77	6/1/0.228, 6/2/0.025, 7,8/0.253 है.प्र. 15/1/0.228, 15/2/0.025
173/156	76	9,10,11,12,13/0.253 है.प्र.
173/155	72	20/0.253 है.

=3.745 है. नहरी 0.050 गै.मु. कुल 3.795 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक नं. 15 बी.जी.पी. जं.सं. 2072-75 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) में स्थायी के खाता सं. 42/30 में 526/18216 हिस्सा कृषि भूमि में से 2/3 हिस्सा के ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार व वादी सं. 3 व 4 को प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक नं. 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 42/30 में 526/18216 हिस्सा कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा को ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते हैं एवं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.8.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्दादाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 356/2023

1. गुरजन्त सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख साकिन जस्सी पो वाली तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)
2. बिन्दर सिंह पुत्र जंगीर सिंह
3. गुरसेवक सिंह पुत्र गुरमेल सिंह
4. जसकरण सिंह पुत्र गुरमेल सिंह
5. गुरनामसिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति तरखान
6. बलदेव सिंह पुत्र सरजीत सिंह
7. रणजीत सिंह पुत्र सरजीत सिंह
8. सुखमन्द्र सिंह पुत्र सरजीत सिंह

जाति समस्त जटसिख निवासीगण
बोलावाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़ (राज.)

---वादीगण

बनाम

1. जसप्रीत सिंह उर्फ जसप्रीत कोर पुत्री छिन्द्रपाल कौर जाति जटसिख साकिन बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. ग्यारसीलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राह्मण निवासी हनुमानगढ़
3. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा संगरिया
4. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा ढाबां
5. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा, कोर्ट रोड, संगरिया
6. शाखा प्रबन्धक एक्सिस बैंक शाखा बोलावाली
7. तहसीलदार (राजस्व) सगरिया ।

---प्रतिवादीगण

वादपत्र अं. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 13.8.24

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिंवल अभिभाषक वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री बन्दुश बिश्नोई, श्री हरबंश झोरड़, श्री संजय साहेवाल अभिभाषक प्रतिवादीगण की उपस्थिति में यह डिक्री दी जाती है कि :-

वादी सं. 1 गुरजन्तसिंह पुत्र जंगीरसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि :-

चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
173/155	72	1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 8,9,10/0.253 है.प्र.
172/154	64	16/1/0.228, 16/2/0.025, 25/1/0.228, 25/2/0.025
172/155	71	5/1/0.142, 5/2/0.020 है.

राकेश कुमार मीना
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

=2.041 है. नहरी 0.145 गै.मुमकिन
 वादी सं. 2 बिन्द्रसिंह पुत्र जंगीरसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि :-
 चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30
 प.नं. मु.नं. कि.नं.
 172/154 64 14,17,24/0.253 है.प्र.
 172/155 71 3,4,7,8/0.253 है.प्र. 5 कि.नं. 4 के साथ चिपता/0.042
 6/1/0.228, 6/2/0.025 है.
 =2.041 है. नहरी 0.025 गै.मु. कुल 2.066 नहरी मय गै.मु.

वादी सं. 3 गुरसेवक सिंह पुत्र गुरमेलसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि :-
 चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30
 प.नं. मु.नं. कि.नं.
 173/154 63 11,18,19,20/0.253 है.प्र.
 172/155 71 5/1/0.009 है. कुल 1.021 है. नहरी।

वादी सं. 4 जसकरणसिंह पुत्र गुरमेलसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि :-
 चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30
 प.नं. मु.नं. कि.नं.
 173/154 63 21,22,23/0.253 है.प्र.
 172/154 64 15/1/0.228, 15/2/0.025 है.
 172/155 71 5/1/0.035, 5/2/0.005
 =1.022 नहरी 0.030 गै.मु. कुल 1.052 है. नहरी मय गै.मु।

वादी सं. 5 गुरनामसिंह पुत्र निरंजनसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि :-
 चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30
 प.नं. मु.नं. कि.नं.
 174/155 73 1/0.253
 173/155 72 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025
 =0.709 है. नहरी 0.050 गै.मु. कुल 0.759 है. नहरी मय गै.मु.।

वादी सं. 6 बलदेव सिंह पुत्र सरजीतसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि :-
 चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30
 प.नं. मु.नं. कि.नं.
 173/155 72 11/0.253
 172/155 71 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025
 9,10,11,12,13,14,17,18,19,20/0.253 है.प्र.
 171/155 70 6,15/0.253 है.प्र.
 =3.745 नहरी 0.050 गै.मु. कुल 3.795 है. नहरी मय गै.मु.।

वादी सं. 7 रणजीत सिंह पुत्र सरजीत सिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि :-
 चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30
 प.नं. मु.नं. कि.नं.
 173/155 72 21,22/0.253 है.प्र.
 173/156 76 1,2/0.253 है.प्र.
 172/155 71 21,22,23,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228, 25/2/0.025
 172/156 77 1,2,3,4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228, 5/0.025 है.

प्रमुख अधिकारी
 संयोजक

=3.542 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि।

वादी सं. 8 सुखमन्द्रसिंह पुत्र सरजीतसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि :-
चक नं. 15 बी.जी.पी. खाता सं. 42/30

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
171/156	78	4,5,6,7,15/0.253 है.प्र.
172/156	77	6/1/0.228, 6/2/0.025, 7,8/0.253 है.प्र. 15/1/0.228, 15/2/0.025
173/156	76	9,10,11,12,13/0.253 है.प्र.
173/155	72	20/0.253 है.

=3.745 है. नहरी 0.050 गै.मु. कुल 3.795 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक नं. 15 बी.जी.पी. जं.सं. 2072-75 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 42/30 में 526/18216 हिस्सा कृषि भूमि में से 2/3 हिस्सा के ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार व वादी सं. 3 व 4 को प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक नं. 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 42/30 में 526/18216 हिस्सा कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा को ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते हैं एवं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकको अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.8.24 को जारी किया

गया।

(राकेश कुमार सीता)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया